अध्याय – 8
वाहन कर

अध्याय 8
वाहन कर

8.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग पूर्ण रूप से प्रमुख सचिव (परिवहन) के अधीन कार्य करता है। परिवहन आयुक्त (प.आ.) चालक अनुज्ञप्ति/परमिट जारी किये जाने एवं वाहनों पर कर/शुल्क/शास्ति का आरोपण एवं संग्रहण की प्रक्रिया पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं परिवीक्षण करता है। इस कार्य हेतु मुख्यालय स्तर पर एक अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), दो संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन/वित्त), तीन उप परिवहन आयुक्त एवं एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा परिवहन आयुक्त को सहयोग प्रदान करते हैं। मैदानी स्तर पर 10 संभागीय परिवहन उपायुक्त, 10 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (क्षे.प.का.), 10 सहायक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (स.क्षे.प.का.) एंव 31 जिला परिवहन कार्यालय (जि.प.का.) हैं। अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) विभाग के कम्प्यूटरीकरण संबंधी कार्यकलापों का परिवीक्षण करते हैं। क्षे.प.अ./स.क्षे.प.अ./जि.प.अ. विभाग के कराधान प्राधिकारी (क.प्रा.) हैं।

वाहनों पर कर का संग्रहण निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों के प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अधीन किया जाता है–

- मोटरयान अधिनियम, 1988 (मो.या.अधिनियम);
- केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 (के.मो.या.नियम);
- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (अधिनियम); तथा
- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1994 (नियम)।

8.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

अवधि 2012–13 से 2016–17 के दौरान वाहनों पर करों के बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों का विस्तृत विवरण **तालिका 8.1** में है।

तालिका 8.1

प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर का प्रतिशत
2012–13	1,400.00	1,531.25	(+) 9.38
2013–14	1,650.00	1,598.93	(–) 3.10
2014–15	2,000.00	1,823.84	(–) 8.81
2015–16	2,300.00	1,933.57	(–) 15.93
2016–17	2,500.00	2,251.51	(–) 9.94

(स्रोतः मध्यप्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं बजट अनुमान)

वर्ष 2016–17 में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि का कारण मार्च 2017 के दौरान बीएस–III श्रेणी वाहनों के पंजीकरण की संख्या में वृद्धि, दिसम्बर 2016 से कर दरों में वृद्धि एवं वर्ष 2016–17 को ''पुराने बकाया एवं लेखापरीक्षा राजस्व वसूली वर्ष'' घोषित करने के फलस्वरूप ₹ 165.35 करोड़ के पुराने बकाये की वसूली थी।

8.3 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा (आं.ले.प.शा.) संयुक्त परिवहन आयुक्त (सं.प.आ.) (वित्त) के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करती है। वर्ष 2016–17 के दौरान, विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए 39 क्षेत्रीय इकाईयों की योजना बनाई, यद्यपि, केवल 17 इकाईयों की लेखापरीक्षा पूर्ण की जा सकी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आं.ले.प.शा. हेतु विभाग के पास पृथक से कोई अमला नहीं था जिसके कारण आं.ले.प. योजना 2016–17 में चयनित इकाईयों की आं.ले.प. में कमी आई तथा परिवहन आयुक्त कार्यालय में पदस्थ अमले ने बजट, लेखा एवं स्थापना से संबंधित उनके नियमित कार्य के साथ आं.ले.प. भी संपादित की। परिवहन आयुक्त के कार्यालय हेतु स.ले.प.अ. के आठ पद स्वीकृत हैं, जिसके विरूद्ध मात्र चार स.ले.प.अ. पदस्थ हैं एवं स.ले.प.अ. के शेष चार पद रिक्त हैं।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि परिवहन आयुक्त ने आयुक्त कार्यालय में स.ले.प.अ. के चार पदों की रिक्तियों को भरने हेतु प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग से अनुरोध (अक्टूबर 2011 एवं दिसम्बर 2016) किया, तथापि शासन ने विभाग में स.ले.प.अ. की भर्ती नहीं की।

अनुशंसाः

शासन को आं.ले.प.शा. हेतु समर्पित कर्मचारी उपलब्ध कर शाखा को सुदृढ़ करना चाहिए।

8.4 लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2016–17 में परिवहन विभाग की 52 इकाईयों में से 37 इकाईयों (परिवहन आयुक्त कार्यालय, 12 क्षे.प.का., आठ स.क्षे.प.का. एवं 16 जि.प.का.) के अभिलेखों की नमूना जाँच की। वर्ष 2015–16 में विभाग द्वारा एकत्रित ₹ 1,933.57 करोड़ के राजस्व में से ₹ 1,412.39 करोड़ लेखापरीक्षित इकाईयों ने एकत्रित किए। लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा आवृत्त अवधि में नमूना जाँच की गई इकाईयों में कुल पंजीकृत 1,21,722 वाहनों में से 98,439 वाहनों के अभिलेखों की जाँच की तथा 61,958 प्रकरणों में ₹ 76.96 करोड़ के करों का अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताएँ पायीं जो **तालिका 8.2** में उल्लिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं।

तालिका 8.2
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वाहन की श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	लोक सेवा यानों पर यान कर और शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	25,021	24.65
2.	माल यानों पर यान कर और शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	3,116	13.21
3.	मैक्सी कैब यानों पर यान कर और शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	1,493	12.25
4.	अन्य	32,328	26.85
	योग	**61,958**	**76.96**

लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को विभाग को प्रेषित (अप्रैल 2016 तथा फरवरी 2017 के मध्य) किया गया था। 2016–17 के दौरान 5,863 प्रकरणों में राशि ₹ 22.47 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को विभाग ने स्वीकार किया एवं 61 प्रकरणों में ₹ 18.97 लाख की वसूली की गई।

2016–17 के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012–13 की दो कंडिकाओं (जिनमें ₹ 1.51 करोड़ के 379 प्रकरण शामिल थे) के 192 प्रकरणों में राशि ₹ 53.12 लाख वसूल किये।

8.5 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, अवधि 2011–12 से 2015–16, की 57 कंडिकाओं में ₹ 92.67 करोड़ के विभिन्न प्रेक्षणों को इंगित किया, जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा मात्र ₹ 4.75 करोड़ की ही वसूली की गयी। इन 57 कंडिकाओं में से 24 कंडिकाएँ लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा चर्चा हेतु चयनित की गयीं। लो.ले.स. ने 2011–12 से 2013–14 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 10 कंडिकाओं पर चर्चा की। लो.ले.स. ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2011–12 की चार कंडिकाओं और 2011–12 से पहले के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ले.प.प्र.) की समरूप कंडिकाओं पर अपनी अनुशंसाएँ पहले ही दे दी हैं। लो.ले.स. के दिशानिर्देश थे–(1) विभाग को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए और लंबित कर निर्धारित समय सीमा के भीतर शास्ति सहित वसूल करना चाहिए। (2) विभाग को उन अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ करनी चाहिए जिन्होंने बकाया राशि वसूली हेतु समय पर कार्यवाही नहीं की।

हालांकि, विभाग ने अनुशंसाओं का पालन नहीं किया है।

अनुशंसाः

विभाग को कर एवं शास्ति की वसूली करने और चूककर्ता अधिकारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु लो.ले.स. की अनुशंसाओं का शीघ्र पालन करना चाहिए।

8.6 वाहन कर व शास्ति की वसूली न होना

विभिन्न श्रेणियों के 5,559 वाहनों पर वाहन कर ₹ 20.28 करोड़ एंव शास्ति ₹ 11.65 करोड़ का अनारोपण/कम आरोपण।

अधिनियम विभिन्न श्रेणियों के उपयोगी वाहनों पर कर लगाने या राज्य में उपयोग हेतु रखे गये वाहनों पर कर की दरें नियत करता है और यह प्रावधानित करता है कि निर्धारित समयावधि में वाहन स्वामी द्वारा कर का भुगतान न करने की स्थिति में, कर की अदत्त राशि पर प्रति माह चार प्रतिशत की दर से शास्ति देय होगी जो कि कर की राशि का अधिकतम दोगुना होगी। कराधान प्राधिकारी (क.प्रा.) ऐसे वाहन स्वामी पर, जो कर, शास्ति या ब्याज का भुगतान नहीं करता है, देय राशि हेतु नोटिस जारी करेगा एवं इनकी वसूली, वाहनों तथा उसके सहायक उपकरणों को संलग्न कर और बेचकर भू–राजस्व बकाया के रूप में वसूली करेगा।

लेखापरीक्षा ने (अप्रैल 2016 एवं मार्च 2017 के मध्य) 12 क्षे.प.का.[1], आठ स.क्षे.प.का.[2] एवं 11 जि.प.का.[3] के अभिलेखों की नमूना जाँच की और पाया कि अक्टूबर 2010 एवं मार्च 2016 के मध्य की अवधि के लिए वाहन स्वामियों द्वारा 5,559 वाहनों[4] का वाहन कर का भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया, जो कि नमूना जाँच किये गये

---

1 **क्षे.प.का.**– अलीराजपुर, भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, राजगढ, रीवा, सागर, शहडोल और उज्जैन

2 **स.क्षे.प.का.**– छिन्दवाड़ा, धार, गुना, कटनी, खण्डवा, खरगौन, मंदसौर और सतना

3 **जि.प.का.**– आगर मालवा, अशोकनगर, बालाघाट, बडवानी, बैतूल, देवास, नीमच, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली और उमरिया

4 माल यान (2,175), आरक्षित रूप में रखा लोक सेवा यान (644), अर्थमूवर/हार्वेस्टर (662), मैक्सी कैब/टैक्सी कैब (1,285), मंजिली गाडी (404), अखिल भारतीय अनुज्ञापत्र पर प्रचालित वाहन (54), एम्बुलेंस (82) और लोक सेवा यान (253)

34,551 वाहनों का 16.09 प्रतिशत था। अभिलेख में इस आशय का कोई उल्लेख नहीं था कि वाहनों को अप्रचलित घोषित किया गया था अथवा किसी अन्य जिला/राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था। परिवहन अधिकारियों ने बकाया राशि के लिए माँग पत्र जारी नहीं किये और कर के अदत्त भुगतान के लिए मोटर वाहनों को जब्त करने और निरूद्ध करने की कार्यवाही नहीं की। परिणामस्वरूप ₹ 20.28 करोड़ के कर और कर की असंदत्त राशि पर ₹ 11.65 करोड़ की शास्ति की वसूली नहीं हुई।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि अद्यतन वसूली की स्थिति से अवगत कराया जावेगा। इस सम्बन्ध में प्रगति लेखापरीक्षा में दृष्टिगत रहेगी।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समान प्रेक्षणों को इंगित किया गया था, किंतु इन अनियमितताओं की निरंतरता को रोकने के लिए विभाग द्वारा उपयुक्त कार्यवाही नहीं की गयी। लो.ले.स. ने भी (वर्ष 2009–10 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर 29वाँ प्रतिवेदन, 2014–15) लंबित कर एवं शास्ति की निर्धारित समय सीमा में वसूली तथा समय पर देयताओं की वसूली की कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु परिवहन विभाग को निर्देशित किया था। इसके बावजूद विभाग एक प्रभावी तंत्र विकसित करने में असफल रहा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन कर पूर्ण रूप से एकत्रित हों तथा चूककर्ता कर और शास्ति के भुगतान से बच न सकें।

अनुशंसाः

विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित कर सकता है कि वाहन कर पूर्ण रूप से एकत्र किए जावें और चूककर्ता कर और शास्ति के भुगतान से बच न सकें।

8.7 निजी सेवा वाहनों पर कर का त्रुटिपूर्ण आरोपण

1,532 निजी सेवा वाहनों पर वाहन कर त्रुटिपूर्ण ढंग से शैक्षणिक संस्था वाले बसों के लिए लागू दर से लगाया गया, परिणामस्वरूप ₹ 10.53 करोड़ के कम राजस्व की प्राप्ति हुई।

मोटरयान अधिनियम परिभाषित करता है कि ''शैक्षणिक संस्था बस'' से तात्पर्य उस वाहन से है जो महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था के स्वामित्व में हो तथा जिसका उपयोग पूर्णतः शैक्षणिक संस्था के छात्रों या कर्मचारियों के लिए संस्था की गतिविधियों के संबंध में परिवहन हेतु हो। आगे प्रावधानित है कि ''स्वामी'' का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से भी है जिसके कब्जे में लीज़ अनुबन्ध या दृष्टिबंधक (हायपोथिकेटेड) वाहन है। शैक्षणिक संस्था वाले वाहनों पर कर ₹ 30 प्रति सीट प्रति तिमाही (अक्टूबर 2014 से ₹ तीन प्रति सीट प्रति तिमाही) की रियायती दर से लगाया जाना चाहिए। दूसरी ओर, निजी सेवा वाहन जिसमें चालक को छोड़कर छह से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है, जो कि लोक प्रयोजन के लिए उपयोग ना किया जाकर आम तौर पर वाहन स्वामी के कारोबार या व्यापार के संबंध में उपयोग किया जाता है, पर ₹ 450 प्रति सीट प्रति तिमाही (अक्टूबर 2014 से ₹ 480 प्रति सीट प्रति तिमाही) की दर से कर लगाया जाता है।

लेखापरीक्षा (अप्रैल 2016 एवं फरवरी 2017 के मध्य) में 18 कार्यालयों[5] के 5,723 वाहनों के अप्रैल 2013 से मार्च 2016 के मध्य की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई

[5] **जि.प.का.**– आगर मालवा, बालाघाट, बड़वानी, देवास, नीमच और उमरिया
क्षे.प.का.– भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, मुरैना और उज्जैन
स.क्षे.प.का.– धार, खण्डवा, खरगौन, मंदसौर, रीवा और सतना

एवं पाया गया कि कराधान प्राधिकारियों द्वारा 1,532 ऐसे वाहनों पर शैक्षणिक संस्था के वाहन के लिए निर्धारित दर से वाहन कर लगाया गया जो कि महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के स्वामित्व में नहीं थे अथवा शैक्षणिक संस्थाओं को लीज़ पर नहीं दिये गये थे। 1,532 आक्षेपित वाहनों में से 1,053 वाहन शैक्षणिक सोसायटी, समितियों और न्यासों के नाम पर पंजीकृत थे जबकि शेष 479 वाहन व्यक्तिगत नामों पर पंजीकृत थे।

कराधान प्राधिकारियों द्वारा कर की त्रुटिपूर्ण दर लगाने के परिणामस्वरूप शैक्षणिक सोसायटी, समितियों और न्यासों से ₹ 7.12 करोड़ तथा निजी व्यक्तियों से ₹ 3.41 करोड़ को सम्मिलित करते हुए कुल ₹ 10.53 करोड़ के वाहन कर की कम प्राप्ति हुई।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) के दौरान, विभाग शैक्षणिक सोसायटी, समितियों और न्यासों के नाम पर पंजीकृत वाहनों पर रियायती दरों से कर लगाने के संबंध में लेखापरीक्षा प्रेक्षण से सहमत नहीं था। यद्यपि, यह आश्वासन दिया गया था कि शैक्षणिक सोसायटी, समितियों और न्यासों के नाम पर पंजीकृत वाहनों का स्वामित्व संस्था के प्रधानाचार्यों को लीज़ अनुबंधों के माध्यम से दिया जायेगा तथापि विभाग द्वारा ऐसा कोई आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया (मई 2018) है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। मोटर यान अधिनियम के अनुसार, कर की रियायती दर प्रदान करने हेतु वाहन के उपयोग के अतिरिक्त शैक्षणिक संस्था द्वारा वाहन का स्वामित्व भी आवश्यक था। शेष प्रकरणों, जिनमें वाहन निजी व्यक्तियों के नाम से पंजीकृत थे, विभाग ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

(भवानी शंकर)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्यप्रदेश

भोपाल
दिनांकः 24 जुलाई 2018

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांकः 30 जुलाई 2018